NEW INDIAN EXPRESS, Bhubaneswar, 15.7.2025
Page No. 3, Size:(10.94)cms X (11.23)cms.

NHRC asks Balasore SP to submit report

EXPRESS NEWS SERVICE
@ Bhubaneswar

THE National Human Rights Commission (NHRC) on Monday directed the Balasore SP to submit a report within 15 days in connection with the self-immolation of a second year integrated BEd student of Fakir Mohan (Autonomous) College who is battling for her life at AIIMS-Bhubaneswar here.

"District SP is directed to furnish a report along with all the materials before the Commission within a period of 15 days," NHRC stated in its order. The Commission also directed the district collector and chief district medical officer (CDMO) to apprise it about the medical care provided to the victim.

NHRC's order came after it received a complaint in this regard from chairperson of Human Rights Front India, Manoj Jena, seeking a high-level inquiry into the matter.

"From the allegations made, prima facie it is observed that a female student of Fakir Mohan (Autonomous) College in Balasore attempted self-immolation after facing sexual harassment by a professor," said the Commission.

DAINIK JAGRAN, Bhubaneswar, 15.7.2025
Page No. 2, Size:(9.62)cms X (29.09)cms.

नाबालिग के मौत मामले में मानवाधिकार आयोग की नोटिस

संवाद सहयोगी, जागरण, संबलपुर : बरगढ़ जिला के भेड़ेन थाना इलाके में ग्यारह वर्षीय प्रत्युष भाईना की मौत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले में ओडिशा सरकार, बरगढ़ जिला प्रशासन और संबंधित मिल मालिकों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कालाहांडी जिला के भवानीपाटना निवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता दिलीप कुमार दास के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई 21 जुलाई 998|18|17|2025 को भुवनेश्वर कैंप कोर्ट में तय की गई है, जहां बरगढ़ जिलाधीश, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव और घटना की जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्ति, जिनमें पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और एनएचआरसी नेट पोर्टल शामिल होंगे। प्रत्युष चावल मिलों से निकली गरम राख के ढेर में गिरकर बुरी तरह झुलस गया था और उसकी मौत हो गई थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Varanasi, 15.7.2025
Page No. 1, Size:(16.96)cms X (16.91)cms.

जिला जेल के बंदी की मौत, हत्या का आरोप

चिकित्सक कह रहे मृत अवस्था में लाया गया, दुष्कर्म के आरोप में था अंदर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जिला जेल के बंदी बेनीपुर पहड़िया निवासी आशुतोष सिंह (26 वर्ष) की सोमवार की मौत हो गई। वह दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया था। बंदी की मौत से आक्रोशित स्वजन ने मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में हंगामा किया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाली किशोरी के स्वजन पर हत्या का आरोप लगाया।

पहड़िया में फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाने वाले आशुतोष के खिलाफ किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वह साढ़े तीन साल से जेल में था। सोमवार को उसके मुकदमे की सुनवाई अदालत में थी। आशीष के पिता राघवेंद्र व मां ने बताया कि वह कचहरी जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह साढ़े दस बजे मंडलीय अस्पताल से उनके पास फोन आया। उन्हें बताया गया कि बेटे की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल बुलाया गया। वहां जाने पर जानकारी हुई कि आशुतोष की मौत हो गई। इस पर स्वजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल के इमरजेंसी में हंगामा करने लगे। इससे अफरा-तफरी की स्थिति हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी आ गई। स्वजन को समझा-बुझाकर शांत कराया। आशुतोष की मां आशा कार्यकर्ता रीता ने बेटे की मौत को साजिशन हत्या बताया। आरोप लगाया कि बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने के लिए किशोरी के स्वजन 30 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। न देने पर जेल में उसकी हत्या कराने की धमकी दे रहे थे। वहीं आशुतोष के मुकदमे की सुनवाई अंतिम चरण में थी। रीता का कहना है कि उनका बेटा आरोप से बरी होने वाला था। मंडलीय अस्पताल में आशुतोष की जांच करने वाले डा. जगेश मिश्रा का कहना है कि बंदी की मौत अस्पताल आने के पहले ही गई थी। इसकी सूचना जेल प्रशासन को दे दी गई थी।

मंडलीय अस्पताल में चिकित्सक से बात करतीं बंदी आशुतोष की मां ● जागरण

सीने में दर्द पर पहुंचाया अस्पताल

जिला जेल के अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव का कहना है कि आशुतोष सुबह सीने में दर्द की शिकायत लेकर जेल के अस्पताल में पहुंचा था। वहां चिकित्सक ने गैस की समस्या को खत्म करने के लिए इंजेक्शन दिया। अस्पताल में आशुतोष ने उल्टी की और उसका पल्स रेट कम होने लगा तो आक्सीजन दिया गया और एंबुलेंस से मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। बीते जनवरी माह में उसने ब्रोंकाइटिस की समस्या बताया था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसका उपचार किया गया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस : डा. विंकटेश मौआर, जिला जेल में महिला बंदी कलावती देवी और सेंट्रल जेल में बंद 45 वर्षीय कुमार उर्फ रामकुमार की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया था। जेल प्रशासन की ओर से जवाब भी दिया गया है।

पहले भी हुई है जिला जेल में बंदियों की मौत

घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार होकर वाराणसी जिला जेल में बंद बलिया के चिकित्सा अधीक्षक डा. विंकटेश मौआर (43 वर्ष) की बीते 16 जून को मौत हो गई। इसके तीन दिन पहले उन्हें जेल में लाया गया था। मौत से पहले उन्होंने परिवार से मुलाकात की थी। तबीयत खराब होने की शिकायत पर उन्हें कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई। वह औरंगाबाद बिहार के रहने वाले थे। इसके पहले जिला जेल में महिला बंदी 70 वर्षीय कलावती देवी की मौत हुई थी। बीते शनिवार को जिला कारागार में बंद सोनभद्र जनपद के रायपुर थाना क्षेत्र स्थित पौनी गांव निवासी शुग्गन (23) ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसे बीते छह जुलाई को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में शिवपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शुग्गन ने चम्मच को धारदार बनाकर अपनी गर्दन पर वार कर लिया, जिससे वह लहूलुहान होकर बैरक में गिर पड़ा। गंभीर हालत में उसे मंडलीय अस्पताल भर्ती कराया गया है। जहां से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

Times of India

NHRC seeks action taken report from state

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-action-taken-report-from-state/articleshow/122457562.cms

Jul 14, 2025, 11.49 PM IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) on Monday sought an action taken report from the state govt over the self-immolation bid of a 20-year-old college student over alleged sexual harassment against a faculty member.

NHRC issued the direction after hearing a petition filed by human rights activist Manoj Jena. He alleged that no action was taken despite complaints to the college principal and the internal complaints committee. "The inaction pushed her to take the extreme step," he added.

He requested a fair and high-level inquiry, strict action against those responsible, proper medical care and compensation for the victim.

NHRC directed the Balasore collector and chief district medical and public health officer to take adequate and necessary steps for proper medical care of the girl and apprise the commission of the action taken.

NHRC also directed the Balasore SP to conduct an inquiry and furnish a report with 15 days along with all materials before the commission for consideration.

Pragativadi

NHRC Orders ATR in Balasore FM College Harassment Case

https://pragativadi.com/nhrc-orders-atr-in-balasore-fm-college-harassment-case/

by Itishree Sethy | July 14, 2025 in Odisha

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued urgent directives following a disturbing case from Odisha's Balasore district, where a girl student from Fakir Mohan College reportedly attempted self-immolation after facing prolonged sexual harassment from a professor.

In a complaint filed by Human Rights Front India Chairperson Manoj Jena, it was revealed that the victim had approached both the college principal and the internal complaints committee but received no response. The continued negligence allegedly pushed the student toward the drastic action. She is currently hospitalised with severe burn injuries and remains in critical condition.

Taking cognisance of the complaint, the NHRC directed the District Magistrate and Chief Medical Officer of Balasore to ensure comprehensive medical care for the victim. The Superintendent of Police has also been asked to submit a detailed Action Taken Report (ATR) within 15 days, including all related materials for review.

Initial steps have already been taken by the authorities, with the suspension of both the accused professor and the college principal. An investigation team has been constituted, but the NHRC has emphasised the need for a fair and high-level inquiry, strict accountability, and long-term measures to prevent such incidents in educational institutions.

This incident has reignited debates around campus safety, institutional accountability, and the efficacy of internal complaints mechanisms in colleges across India.

Free Press Journal

NHRC Concludes Summer Internship Programme With Call For Compassion, Integrity & Human Rights Advocacy

Addressing the valedictory session, Justice V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India, urged the interns to prioritize human connection and kindness over material pursuits, fostering a society united by shared humanity.

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-concludes-summer-internship-programme-with-call-for-compassion-integrity-human-rights-advocacy

FPJ News Service | Updated: Monday, July 14, 2025, 07:03 PM IST

The coveted four-week Summer Internship Programme of the National Human Rights Commission (NHRC), India, concluded in New Delhi today. 80 students selected from different universities across the country for the internship, were exposed to the various aspects of human rights advocacy, and the Commission's activities promoting and protecting human rights.

Addressing the valedictory session, Justice V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India, urged the interns to prioritize human connection and kindness over material pursuits, fostering a society united by shared humanity. He highlighted the bonds formed among interns from diverse backgrounds as the programme's true wealth.

He emphasised that true success lies in touching lives by showing compassion. Wishing the interns a bright and meaningful future, he encouraged them to strive for evolving as a better person everyday to contribute more meaningfully in society through their skills and humanity.

Earlier, congratulating the interns, Bharat Lal, Secretary General, NHRC, India, in his keynote address, underscored the significance of maintaining good intentions and integrity in all endeavours. He advised the interns to carefully consider not only their actions but also what they should avoid, emphasising that ethical decisions, however small, have a profound impact on society. He further encouraged them to reflect and align with core values and principles when faced with uncertainty in life as a way forward.

Ms. Saidingpuii Chhakchhuak, Joint Secretary, NHRC, India presented the internship report, highlighting the Programme's achievements and announcing the winners of the book review, group research project presentation, and declamation competitions.

The ceremony concluded with a vote of thanks by Lt. Col. Virender Singh, Director, NHRC, India. Senior NHRC, India officers including Shri R.P. Meena, Director General (Investigation), Shri Joginder Singh, Registrar (Law), and Shri Samir Kumar, Joint Secretary were present on the occasion.

Throughout the Programme, interns engaged in sessions led by esteemed professionals, including the NHRC Chairperson, Members, current and former union Secretaries,

officers of several Commissions, ministries, directors of civil society organisations, and other experts. These sessions provided invaluable insights into the Commission's work and the challenges surrounding human rights violations.

The Programme also featured field visits to key institutions such as Tihar Jail, SHEOWS NGO, National Commission for Women, and National Green Tribunal. These visits offered interns a first-hand understanding of ground realities and the practical aspects of human rights advocacy.

Ommcomm News

FM College Student's Self-Immolation Bid: Suspended Principal Dilip Ghosh Arrested

https://ommcomnews.com/odisha-news/fm-college-students-self-immolation-bid-suspended-principal-dilip-ghosh-arrested/

by OMMCOM NEWS | July 1r4, 2025 in Odisha

Balasore: The suspended Principal of Fakir Mohan (Autonomous) College, Balasore, Dilip Ghosh, was arrested on Monday by Sahadevkhunta police in connection with the tragic self-immolation attempt of a 20-year-old B.Ed student, Soumyashree Bisi. The student, who set herself on fire on the college premises on July 12, is battling for life with 95% burns at AIIMS Bhubaneswar.

Ghosh's arrest follows mounting allegations of gross negligence in addressing sexual harassment complaints made by Bisi against Samir Kumar Sahu, Head of the Education Department.

Sources said the student had formally filed a complaint with the college's Internal Complaints Committee (ICC) on June 30, detailing instances of harassment and academic intimidation by Sahu, particularly concerning attendance.

Although the ICC submitted its report by July 9, no disciplinary action was taken against Sahu, sources added.

Sahu remained in his post until July 12, when he was arrested under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, including abetment to suicide. He has since been remanded to judicial custody.

The Higher Education Department has suspended both Ghosh and Sahu following the incident on Saturday.

According to Bisi's family, the college authorities failed to act despite repeated appeals, and her mental distress was visible in her public protests and appeals. In the days leading up to her attempt, Bisi staged a sit-in outside the college and posted urgent messages on the social media platform X, tagging senior officials — including the Chief Minister, Higher Education Minister, Balasore MP, SP, and Collector — warning of suicide if her complaint remained unaddressed.

Her father said in an emotional statement to the media, "The college failed my daughter. The harassment and inaction pushed her to this extreme."

The Higher Education Department has constituted a three-member committee to investigate the college administration's handling of the case.

The National Commission for Women (NCW) has demanded a detailed report from the state government within three days. Meanwhile, social activists have filed petitions with

the National Human Rights Commission, seeking justice and compensation for the victim’s family.

Chief Minister Mohan Charan Majhi visited AIIMS Bhubaneswar and assured advanced medical care for Bisi and strict action against those responsible.

The incident has triggered statewide protests, with opposition parties including the BJD and Congress demanding immediate accountability in the matter.

feminisminindia.com

Pinki Vs State of Uttar Pradesh: Victim-Centric Guidelines By Supreme Court In Child Trafficking Cases

The apex court urged the courts to complete the trial within six months and directed the states to adopt stringent measures to prevent such crimes.

https://feminisminindia.com/2025/07/14/pinki-vs-state-of-uttar-pradesh-victim-centric-guidelines-by-supreme-court-in-child-trafficking-cases/

By Dr. Chemmalar Jul 14, 2025 5 min read

The Supreme Court in April 2025 issued a new set of guidelines and directions for the centre and all state governments to prevent child trafficking and heinous offences related to it. The court ruled that 'any laxity in implementing the directions would be taken seriously and be treated as contempt of court.' The bench led by Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, strongly criticized the Allahabad High Court's "callous" handling of bail applications in a child trafficking case, observing that several accused were repeat offenders. The apex court urged the courts to complete the trial within six months and directed the states to adopt stringent measures to prevent such crimes. The judgment also reaffirmed the constitutional protection of life and liberty under Article 21. It invoked Sections 370 and 370A Indian Penal Code (now Sections 143 and 144 of the Bharatiya Nyaya Sanhita) to address trafficking and exploitation.

Major legal victory in preventing child trafficking

Pinki vs State of Uttar Pradesh, 2025 is a significant legal victory towards the protection of children and prevention of child trafficking given the recent surge of such crimes in the country. The case was brought against an interstate child trafficking racket in Uttar Pradesh that targeted impoverished children. Thirteen accused were arrested in connection with the offence of abducting the children and selling them for illegal adoption. While the case was pending for committal to the sessions court, the Allahabad High Court granted bail to the accused. As a result, several accused absconded and threatened the families. This necessitated the victim's family members to file a special leave to appeal before the Supreme Court.

In this case of interstate child trafficking, street-connected children were targeted by well-organized traffickers, involving a series of deliberate acts of kidnapping, and subsequent sale of minors at prices ranging from ₹2 lakh to ₹10 lakh per child. Functioning as a coordinated network, their modus operandi was exploiting digital technology to disseminate images of the victim children, identify the prospective buyers, share location, and facilitate fund transfer.

Around 12:30 PM on April 9, 2023, Pinki, a ragpicker, discovered that her 1-year-old son, Bhahubali, who was sleeping beside her, had gone missing. Following the missing person complaint filed by Pinki, initial investigations commenced with the examination of CCTV

footage from the area. Further investigation revealed that the abduction and trafficking was conducted systematically over months.

Around 12:30 PM on April 9, 2023, Pinki, a ragpicker, discovered that her 1-year-old son, Bhahubali, who was sleeping beside her, had gone missing. Following the missing person complaint filed by Pinki, initial investigations commenced with the examination of CCTV footage from the area. Further investigation revealed that the abduction and trafficking was conducted systematically over months, with the racket having kidnapped and illegally sold 19 other impoverished children.

The investigation and search operation across Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, and Jharkhand aimed to recover the kidnapped children and arrest the gang members. Each child was located within the residence or custody of one or another of the accused persons. Chargesheets were lodged before the Special Chief Judicial Magistrate, Varanasi; bail was subsequently granted by the Allahabad High Court while the committal proceedings before the Court of Sessions remain ongoing.

Consequently, relatives of the rescued children filed multiple special leave petitions in the Supreme Court, challenging the High Court's bail orders under Sections 363 (Kidnapping from Lawful Guardianship), 370 (Trafficking of Persons), and 370A (Exploitation of Trafficked Persons) of the Indian Penal Code (now Sections 143 and 144 of the Bharatiya Nyaya Sanhita), and invoking Article 21 of the Constitution. They argued that the High Court failed to consider the seriousness of the offense, the organized nature of the trafficking network, and the vulnerability of the victims. Recognizing the commonality of the accused and the nature of the alleged offense, the Supreme Court directed that all petitions be consolidated for joint consideration.

Allahabad high court decision

Relying on the principle that "bail is the rule and jail is the exception," the High Court granted bail to the 13 accused, citing specific reasons for its decision. These included the absence of the accused's names in the original First Information Report (FIR), their arrest based solely on statements from co-accused during custodial interrogation, and the lack of direct recovery of victim children from the accused or immediate linkage to the crime.

However, bail was granted subject to strict conditions: the accused must not interfere with prosecution evidence or exert influence over witnesses. Additionally, the court mandated the accused's attendance before the trial court on the scheduled date and prohibited any form of inducement or threat to witnesses.

Supreme court review

A two-judge bench comprising Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan overturned the bail grant and sharply criticized the Allahabad High Court's handling of the matter as "very callous." The Supreme Court underscored the High Court's failure to account for the offense's seriousness, the systemic nature of the trafficking network, and the overriding public interest. It observed that child trafficking inflicts enduring suffering on parents,

“worse than death,” as they endure perpetual anguish unlike those grieving natural loss. Emphasizing that several accused were repeat offenders, the Court held that bail was unwarranted and ordered its revocation. In addition to annulling the bail orders, the Court issued a comprehensive set of procedural directions to ensure expeditious handling of trafficking cases.

Court’s directives and guidelines

The Court directed the committal of all three trafficking-related criminal cases in Varanasi to the Sessions Court within two weeks, with charges to be framed within one week of the order. If any accused is absconding, the trial court must secure their presence through non-bailable warrants and conduct separate trials to avoid delays. The court ordered trials to proceed on a priority and preferably day-to-day basis. The Court directed the State Government to appoint three special public prosecutors and ensure police protection for the victims and their families.

It mandated that all child-trafficking cases pending in trial courts be concluded within six months of framing charges. High Courts were directed to compile status reports on such trials, and District Judges were tasked with allocating dedicated courtrooms and judges to this category of offenses. A further instruction required close inter-state coordination among police forces and regular updates to victim families, thereby addressing both systemic delays and fragmented enforcement.

The verdict mandated that all child-trafficking cases pending in trial courts be concluded within six months of framing charges. High Courts were directed to compile status reports on such trials, and District Judges were tasked with allocating dedicated courtrooms and judges to this category of offenses.

Beyond trial-specific measures, the Court mandated the State to ensure educational rehabilitation for the rescued children under the Right to Education Act, 2009, and to provide victim compensation under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, and relevant welfare schemes. All States were instructed to review and implement the recommendations from the Bharatiya Institute of Research and Development (BIRD) report (dated April 12, 2023), released by the **National Human Rights Commission (NHRC)** to address human trafficking. High Courts were directed to gather data on pending trafficking trials, issue circulars ensuring expedited trial timelines, and report compliance to the Supreme Court. The court cautioned that non-compliance by any authority would invite strict judicial scrutiny and potential contempt proceedings.

Conclusion and impact

The analysis of the Supreme Court’s ruling reveals a multifaceted, proactive approach. First, the court’s guidelines and directives aim to protect the rights of the children in this case and prevent future instances. Secondly, by deeming the Allahabad High Court’s bail decision flawed, the court underscored the necessity of judicial accountability in the criminal justice system.

Thirdly, the court reiterated that a child’s rights are absolute, irrespective of their sex, place of origin, or financial status. Thus, the Supreme Court reaffirmed its constitutional role as protector of fundamental rights, ensuring justice for marginalized groups.

Navbharat Times

Nimisha Priya: फांसी से दो दिन पहले चर्चा में आई निमिषा प्रिया, भारतीय नर्स को यमन में बचाने की राजस्थान से उठी आवाज

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/bundi/plea-to-save-indian-nurse-nimisha-priya-facing-execution-in-yemen-voice-raised-from-rajasthan/articleshow/122435097.cms

Authored by: पुलकित सक्सेना•Contributed by: अर्जुन अरविंद | Lipi•14 Jul 2025, 3:04 pm

Subscribe

केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से बूंदी के चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर कर निमिषा प्रिया का जीवन बचाने के लिए कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है।

निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई

बूंदी: केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। भारतीय मूल की इस नर्स को बचाने के लिए राजस्थान के बूंदी जिले से प्रयास शुरु हुआ है। विदेशी धरती पर संकटग्रस्त भारतीयों की मदद करने वाले बूंदी शहर के चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका लगाई है। भारतीय मूल की महिला नर्स का जीवन बचाने की गुहार लगाई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़े हुए इस गंभीर मानवीय विषय पर राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार की ओर से तत्काल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और वैधानिक हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। नर्स निमिषा प्रिया का जीवन बचाया जाना चाहिए। शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाते हुए भारतीय महिला का जीवन बचाने की मांग की है।

दो दिन बाद फांसी

उल्लेखनीय है कि केरल की रहने वाली भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को यमन की जेल में 16 जुलाई को फांसी देने की सजा सुनाई गई है। निमिषा प्रिया रोजगार के लिए यमन गई थीं। यमन में 2016 में उनका पासपोर्ट उनके क्लिनिक के पार्टनर यमन नागरिक के द्वारा छीन लिया गया था। वह भारतीय महिला को जबरन वहीं पर रखना चाहता था और भारत नहीं आने दे रहा था।

यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया

इसके बाद अपना पासपोर्ट व दस्तावेज वापस लेने के लिए निमिषा प्रिया ने यमन नागरिक को नशे का इंजेक्शन लगाया था।

नशे की ओवरडोज से यमन नागरिक की मौत हो गई थी। जिसके बाद पिछले 8 साल से ज्यादा समय से निमिषा प्रिया यमन की सना जेल में हैं। यमन के कोर्ट ने निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी देने की सजा सुनाई है। उस पर वहां की सरकार ने अंतिम रूप से मुहर भी लगा दी है।

Panchjanya

लोकतंत्र की डफली, अराजकता का राग

https://panchjanya.com/2025/07/14/417021/bharat/the-drum-of-democracy-the-melody-of-anarchy/

14 जुलाई 2025

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)

घोषित उद्देश्य : चुनावी पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वच्छ राजनीति की दिशा में प्रत्याशी की पृष्ठभूमि, जैसे- आपराधिक, आय-व्यय का विश्लेषण और शैक्षणिक विवरण सार्वजनिक कर मतदाताओं को जागरुक करना।
वास्तविक गतिविधि : चुनाव सुधारों के नाम पर बार-बार चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप, विदेशी फंडिंग, वैचारिक हस्तक्षेप व राजनीतिक ध्रुवीकरण फैलाना, आलोचना का रुख प्रायः एक विचारधारा विशेष के विरुद्ध और दूसरे का संरक्षण करना।

धुंधलके में लिपटे पारदर्शिता के पैरोकार

एडीआर की याचिकाओं के कारण 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति व शिक्षा का विवरण देना अनिवार्य किया था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

हाल ही में यह संस्था एकतरफा एजेंडा चलाने लगी है। 2024 में एडीआर ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में आधार आधारित मतदाता सूची पुनरीक्षण को 'संवैधानिक उल्लंघन' कहकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी (W.P. (C) 641/2024)।

आयोग का कहना था कि यह 'डुप्लिकेट वोटर्स' को हटाने की नियमित प्रक्रिया है और आधार नंबर देना स्वैच्छिक है।

स्रोत:

चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में करीब 6.5 करोड़ से अधिक डुप्लिकेट या मृत मतदाताओं की पहचान 2015–2023 के बीच हुई, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण से सहायता मिली।

ADR की चुनिंदा आपत्तियां कई बार "लोकतंत्र के नाम पर डेटा संरक्षण के पीछे छिपी वैधानिक प्रक्रिया-विरोधी सक्रियता" मानी जाती हैं।

एनबीटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने एडीआर की मंशा पर सवाल उठाते हुए उसकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने ईवीएम से वोटिंग प्रणाली को हटाने या जरूरी बदलाव की मांग की थी।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल)

घोषित उद्देश्य : नागरिक अधिकारों-मानवाधिकारों की रक्षा, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना तथा सत्ताधारी तंत्र के दमनकारी उपायों की आलोचना करना।

वास्तविक गतिविधि : पक्षपाती रिपोर्टिंग, नक्सल हिंसा, कश्मीर में आतंकवाद और कट्टरपंथी इस्लामी गतिविधियों पर चुप्पी। हिंसक गुटों की 'नरम पैरवी', न्यायपालिका व सुरक्षा एजेंसियों पर अविश्वास, देश विरोधी अंतरराष्ट्रीय एनजीओ से सहयोग और विदेशी फंडिंग।

कथनी और करनी में अंतर

2016 में पीयूसीएल ने बस्तर की एक मुठभेड़ को फर्जी बताया, लेकिन एनएचआरसी और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि मारे गए व्यक्ति प्रतिबंधित माओवादी दल के सशस्त्र सदस्य थे।

पीयूसीएल ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 'स्वतंत्रता के हनन' का आरोप लगाया, जबकि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 60% की कमी दर्ज की गई।

पीयूसीएल की "Selective Human Rights Advocacy" (चयनात्मक मानवाधिकार वकालत) की आलोचना स्वयं कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं ने भी की है। (संदर्भ : Gautam Navlakha's dissociation note, 2020)।

स्रोत :

Home Ministry Annual Report on Left Wing Extremism (2022) में पीयूसीएल सहित कई संगठनों द्वारा माओवादी 'नरसंहारों' पर मौन की आलोचना की गई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 2023 में पीयूसीएल की एक रिपोर्ट को 'अपूर्ण तथ्यों पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रेरित' बताया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया

घोषित उद्देश्य : मानवाधिकारों की रक्षा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना। अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, जनजातियों और हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पांथिक स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार का समर्थन करना।
वास्तविक गतिविधि : भारत के संवेदनशील विषयों पर अत्यधिक आलोचना, पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद पर मौन। भारत-विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा, वामपंथी और कट्टर सेकुलर एजेंडा चलाना, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करना तथा देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना।

मीठे बोल, जहरीला घोल

एमनेस्टी की रिपोर्ट 'Losing the Plot in Kashmir' (2019) ने भारतीय सेना को 'Occupational Force' कहा।

2020 में सीबीआई और ईडी की संयुक्त जांच में पाया गया कि एमनेस्टी ने एफसीआरए के नियमों को दरकिनार करते हुए 36 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी फंड भारत में एनजीओ के रूप में इस्तेमाल किए, जबकि वह कंपनी के रूप में पंजीकृत थी।

एमनेस्टी के वरिष्ठ निदेशक अविनाश कुमार ने खुले तौर पर धारा 370 हटाने को 'आक्रामक अधिग्रहण' कहा था, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान या खैबर में मानवाधिकार हनन पर चुप्पी साधी गई।

स्रोत :

l FCRA Cancellation Order, MHA, Sept 2020 l CBI Case No. RC 219 2020 E 0004 l Baloch Human Rights Council (BHRC) ने एमनेस्टी की 'भारत-केन्द्रित आलोचना और पाकिस्तान-सम्बंधित चुप्पी' की आलोचना की है (2021)।

ग्रीनपीस इंडिया

घोषित उद्देश्य : पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, परमाणु ऊर्जा, हथियारों के प्रसार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, स्थानीय और वैश्विक माध्यम से समाधान देना, रचनात्मक अभियान चलाना और सार्वजनिक बहस को दिशा देना।
वास्तविक गतिविधि : भारत की औद्योगिक और ऊर्जा-आधारित परियोजनाओं में व्यवस्थित अड़चन डालना। विदेशी चंदे पर विवाद और सरकारी प्रतिबंध, वित्तीय प्रबंधन और कार्यप्रणाली पर सवाल उठना।

पर्यावरण बहाना, मकसद टांग अड़ाना

2014 में ग्रीनपीस ने मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट का विरोध किया, जिसे 'इको-सेंसिटिव जोन' कहकर विश्व मंचों पर बदनाम किया गया, जबकि MOEF की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट को सामाजिक-आर्थिक रूप से उपयुक्त बताया गया था।

दिल्ली में ऊर्जा नीति पर रोक, असम में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में बाधा जैसे अनेक उदाहरण मिले।

स्रोत :

आईबी रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रीनपीस जैसी संस्थाओं के कारण भारत की जीडीपी को संभावित 2-3 प्रतिशत नुकसान की आशंका जताई गई थी॥

2015 में गृहमंत्रालय ने ग्रीन के बैंक खाते सील किए थे; 2017 में एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ।

नेशनल कैम्पेन फॉर पीपुल्स राइट टु इन्फॉर्मेशन (एनसीपीआरआई)

घोषित उद्देश्य : सूचना का अधिकार सशक्त बनाना, व्यवस्था पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना।
वास्तविक गतिविधि : एकपक्षीय सक्रियता, विशेषत: सीएए, एनआरसी जैसे विषयों पर वैचारिक स्वरूप में विरोध करना। संविधान और व्यवस्थाओं के खिलाफ वातावरण का निर्माण करना, युवाओं में देश के खिलाफ जहर भरना।

हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के और

सीएए/एनआरसी के मुद्दे पर एनसीपीआरआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और याचिकाओं द्वारा विरोध दर्ज कराया, जबकि आरटीआई सुधारों (जैसे सीआईसी की स्वतंत्रता) पर चुप्पी साधी गई।

जेएनयू व एएमयू में आयोजित सीएए विरोध प्रदर्शनों में कई सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे।

स्रोत :

PRSLegislative Research, CAA Analysis Report

Transparency International की 2022 रिपोर्ट में एनसीपीआरआई द्वारा न्यायपालिका में पारदर्शिता की मांग को अनदेखा करना 'institutional inconsistency' बताया गया।

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (एसआईओ)

घोषित उद्देश्य : नैतिक शिक्षा और छात्र सशक्तिकरण, समाज संरचना में सुधार और नैतिक पुनर्निर्माण, सामाजिक न्याय और सेवा कार्य और हिंदू–मुस्लिम संवाद एवं अंतरपांथिक कार्यक्रम आयोजन करना। वास्तविक गतिविधि : राजनीतिक इस्लामी विमर्श का प्रचार, भारत-विरोधी आयोजनों से साठगांठ और विवादास्पद रुख।

नैतिकता का दिखावा, जिहाद को बढ़ावा

2016 जेएनयू विवाद में अफजल गुरु की फांसी के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में एसआईओ के अनेक सदस्य सम्मिलित पाए गए।

2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शन में एसआईओ नेताओं की गिरफ्तारी हुई; 2024 में मारे गए हमास नेता के लिए नमाज पढ़ी, जिसके बाद आलोचना हुई।

एआईओ की पत्रिका 'Students and Ummah' में भारत के सेकुलर संविधान को 'इस्लामी जीवनशैली के विरुद्ध बाधा' कहा गया।

स्रोत :

दिल्ली पुलिस चार्जशीट (2016)

SIO Vision Document (2018–22) में 'Ummah-centric' छात्र विचारधारा के प्रचार की बात स्पष्ट रूप से वर्णित है।

नांदेड़ पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ एक संयुक्त अभियान में 1 फरवरी 2020 को सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एसआईओ नेता को हिरासत में लिया।

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू)-दक्षिण एशिया

घोषित उद्देश्य : मानवाधिकारों की निगरानी, जैसे-युद्ध अपराध, अत्याचार, उत्पीड़न, लैंगिक हिंसा, बाल उत्पीड़न और पांथिक-अल्पसंख्यकों के अधिकारों सहित मानवाधिकार उल्लंघनों की दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग करना। शरणार्थियों, राजनीतिक बंदियों, उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों और अन्य वंचितों के अधिकारों की आवाज उठाना।

वास्तविक गतिविधि : भारत पर तीखी निगरानी, पड़ोसी तानाशाही देशों पर मौन, भेदभाव करना व राजनीतिक एजेंडा चलाना।

नाम बड़े और दर्शन छोटे

एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट 'Violent Cow Protection' (2019) में सिर्फ हिंदू संगठनों को दोषी ठहराया गया, जबकि उसी अवधि में कट्टरपंथी संगठनों द्वारा मंदिरों पर हुए 23 हमलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

अनुच्छेद 370 पर आलोचना के समय चीन के उइगर डिटेंशन कैंप पर चुप्पी की आलोचना यूएनएचआरसी सदस्यों ने भी की।

स्रोत :

HRW 2020 South Asia Review l UNHRC Session Minutes (2021): "Bias against India is disproportionate and selective."

2014 में दो नोबुल शांति पुरस्कार विजेताओं, एडॉल्फो पेरेज एस्क्विवेल और मैरेड मैगुइरे ने 100 अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र लिखा, जिसमें भर्ती प्रथाओं के लिए एचआरडब्ल्यू की आलोचना की गई। अमेरिका के अतिरिक्त न्याय प्रतिपादन के अभ्यास की निंदा करने में विफलता, लीबिया में अमेरिकी 2011 के सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन और 2004 के हैती में तख्तापलट के दौरान इसकी चुप्पी।

ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India)

घोषित उद्देश्य : दलितों, जनजातियों, मुस्लिमों, और महिलाओं के साथ मिलकर गरीबी, भेदभाव और असमानता से लड़ना। सामाजिक असमानताओं पर शोध करना और सरकारी नीतियों में सुधार के लिए नागरिकों को संगठित करना।
वास्तविक गतिविधि : भारतीय सांस्कृतिक ढांचों को लक्ष्य कर पश्चिमी दृष्टिकोण थोपना, विदेश नीति में हस्तक्षेप करना।

नीयत में खोट, परंपरा पर चोट

2020 की रिपोर्ट 'India Inequality Report' में विवाह संस्था को पितृसत्तात्मक शोषण का वाहक बताया गया।

इसके ट्रेनिंग मॉड्यूल में वर्ण व्यवस्था को 'ब्राह्मणवादी फासीवाद' कहा गया – जो भारत की विविध परंपराओं की आलोचना नहीं, बल्कि विकृतिकरण है।

कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों से प्राप्त फंड को भारत में राजनीतिक मुद्दों जैसे अडाणी समूह के विरोध के लिए कर रहा था।

स्रोत :

lOxfam India's FCRA Cancellation Notification, MHA, 2022 (ऑक्सफैम इंडिया की एफसीआरए रद्दीकरण अधिसूचना, गृह मंत्रालय, 2022)

"Marriage and Patriarchy" Report Critique by Indian Sociological Society (2021) (भारतीय समाजशास्त्रीय सोसायटी द्वारा 'विवाह और पितृसत्ता' रिपोर्ट की समीक्षा (2021))

सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी)

संस्थापक: तीस्ता सीतलवाड़

घोषित उद्देश्य : दंगा पीड़ितों के लिए न्याय दिलाना, समानता और पांथिक सद्भाव बढ़ाना, संवैधानिक और मानवाधिकारों का संरक्षण करना। मीडिया और सक्रिय सामान्य जनता को फर्जी खबरों और नफरत फैलाने से रोकने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।
वास्तविक गतिविधि : फर्जी गवाह, गढ़ी गई कहानियां, सर्वोच्च न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास। 'लव जिहाद' विरोधी कानूनों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश) को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना।

सद्भाव में लिपटा एजेंडा

तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उसने 2002 गुजरात दंगों के दौरान पीड़ितों को झूठे हलफनामे दाखिल करने के लिए प्रेरित किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में तीस्ता की याचिका खारिज की, उनकी भूमिका को 'सामूहिक धोखाधड़ी' बताया।

जांच में दस्तावेज़ी सबूत भी मिले कि कई गवाह 'सीजेपी' के पैसे से 'रटाए गए बयान' दे रहे थे।

स्रोत :

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय : तीस्ता सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य, 2022। गुजरात एसआईटी अंतिम आरोपपत्र, 2022•

2002 गुजरात दंगों के प्रतिष्ठित मामलों में पुनर्निर्देशन, जांच और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पैरवी—उदाहरण: बेस्ट बेकरी केस पुनरीक्षण

यूनाइटेड अगेन्स्ट हेट (यूएएच)

घोषित उद्देश्य : घृणा के खिलाफ आंदोलन करना, पीड़ितों को कानूनी, मानसिक और तथ्यात्मक सहायता प्रदान करना। फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट और सार्वजनिक जागरूकता फैलाना। देश की संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना।
वास्तविक गतिविधि : नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में उकसावे, आधा-सच फैलाने और दिल्ली दंगों में संदिग्ध सहभागिता। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ स्थायी आंदोलन चलाया, इसके कुछ सदस्य प्रदर्शन में शामिल थे।

आधी हकीकत, आधा फसाना

जामिया और शाहीनबाग में आयोजित धरनों में यूएएच के समन्वयक सक्रिय भूमिका में थे।

दिल्ली पुलिस की 2020 के अरोप पत्र में UAH से जुड़ी व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल्स का उल्लेख है, जिनमें 'planned provocation' जैसे शब्द पाए गए।

यूएएच ने दिल्ली दंगों को एकतरफा 'हिंदू फासीवाद' करार दिया, जबकि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या जैसे मामलों पर चुप्पी साधी।

स्रोत :

यूएएच के सदस्यों, जैसे उमर खालिद और खालिद साइफी को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया

दिल्ली पुलिस आरोप-पत्र (फरवरी 2020 दंगे)

गृहमंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट (2020)

tfipost.com के अनुसार, यूएएच के सदस्यों ने किसान आंदोलन को पांथिक आधार पर समर्थन दिया; सीएए विरोधी दंगों में भूमिका थी और अब यह खालिस्तानी विरोध प्रदर्शनों को हवा दे रहा है।

लोकतंत्र की रक्षा या भटकाने की चाल

इन संगठनों के नाम और नारे 'जनहित', 'मानवाधिकार' और 'पर्यावरण' जैसे सुनहरे शब्दों से जुड़े हैं, लेकिन व्यवहार में इनका काम एक खास वैचारिक ध्रुव पर टिके भारत-विरोधी विमर्श को आगे बढ़ाने जैसा लगता है।

लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब 'सिविल सोसाइटी' ही उस सशक्तता को 'सांप्रदायिकता', 'विकास विरोध', या 'राष्ट्रविरोध' की ओर मोड़ने लगे, तब जांच, विवेक और पारदर्शिता अनिवार्य हो जाते हैं।

भारत जैसे संवेदनशील और बहुलतावादी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि ऐसे संगठनों की फंडिंग, उद्देश्य और प्रभाव की पारदर्शी जांच हो तथा नागरिकों को भी इनके दोहरे मापदंडों के प्रति सतर्क किया जाए।

r

ABP Live

Bihar: जामिया प्रोफेसर ने मां के 46 साल के दर्द को बयां कर लगाई मदद की गुहार, अपने ही पिता पर लगाए ये आरोप

Bihar: जामिया प्रोफेसर ने मां के 46 साल के दर्द को बयां कर लगाई मदद की गुहार, अपने ही पिता पर लगाए ये आरोप

Bihar News: जामिया प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम ने अपनी मां रुकैया खातून के लिए न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने पिता पर ट्रिपल तलाक, हलाला और वर्षों तक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं.

https://www.abplive.com/states/bihar/jamia-millia-islamia-professor-dr-raquib-alam-pleads-for-justice-for-his-mother-makes-serious-allegations-against-his-father-ann-2978902

By : परमानंद सिंह | Updated at : 14 Jul 2025 12:12 PM (IST)

नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रकीब आलम ने अपने पिता मोहम्मद आरिफ पर मां रुकैया खातून के सालों से हो रहे शोषण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने ट्रिपल तलाक, गैर-इस्लामिक हलाला, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, संपत्ति हड़पने और जानलेवा हमलों की बात करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समेत कई संस्थानों को पत्र भेजा है.

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉ. रकीब ने कहा कि उनकी मां को न्याय और सुरक्षा की सख्त जरूरत है. वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है.

46 सालों से हो रही पति के उत्पीड़न की शिकार- रुकैया खातून

किशनगंज जिले के कोचाधामन निवासी रुकैया खातून ने मीडिया को बताया कि वे पिछले 46 सालों से पति के उत्पीड़न की शिकार रही हैं. शादी के एक साल के भीतर ही दहेज को लेकर मारपीट, जलता पानी डालने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं शुरू हो गई थीं. शादी के आठ साल बाद मोहम्मद आरिफ ने दूसरी शादी कर ली और करीब 31 साल पहले रुकैया को ट्रिपल तलाक दे दिया. इसके बाद उन्हें जबरन हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. 2012 में रुकैया अपने बेटे के पास दिल्ली चली गईं, लेकिन मोहम्मद आरिफ ने जबरन उन्हें वापस बिहार बुला लिया और इलाज में बाधा पहुंचाई, जिससे वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो गईं.

आज भी सच्चाई को सोचकर कांप जाता हूं- डॉ. रकीब आलम

डॉ. रकीब का आरोप है कि उनके पिता ने रुकैया खातून को मानसिक रूप से तोड़कर उनकी जमीन जबरन बिकवाई और उससे मिले पैसे अपनी दूसरी पत्नी के बेटों के लिए घर बनाने में खर्च कर दिए. उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने मेरी मां को गुलामों की तरह रखा, और हलाला जैसी अमानवीय प्रथा के लिए मजबूर किया. मैं आज भी इस सच्चाई को सोचकर कांप जाता हूं.” रुकैया खातून ने बताया कि वह पिछले 13 साल से दिल्ली आना चाहती थीं, लेकिन मोहम्मद आरिफ उन्हें वहां जाने से रोकता रहा। कई बार उनके और उनके बेटे पर जानलेवा हमले भी किए गए.

मां-बेटे का दावा है कि मोहम्मद आरिफ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उनके खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई. डॉ. रकीब ने कहा कि पुलिस और सामाजिक काउंसलिंग की कोशिशों के बावजूद न्याय नहीं मिला. अब उन्होंने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों से अपील की है कि रुकैया खातून को न्याय, स्थायी सुरक्षा और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया जाए. फिलहाल रुकैया खातून दिल्ली में चिकित्सकीय निगरानी में हैं और अपनी जान को खतरा मानते हुए कानूनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं.

MP Breaking News

बिना वजह पुलिस मारपीट करे तो कहाँ करें शिकायत? जानें आम नागरिक के कानूनी अधिकार

यदि कोई भी पुलिस वाला सड़क, मार्केट, थाने या किसी भी स्थान पर आपके साथ मारपीट करता है। तो घबराएँ नही, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कुछ बात का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। आइए एक नजर इन नियमों पर डालें-

https://mpbreakingnews.in/lifestyle/police-harassment-legal-rights-how-and-where-to-file-complain-28-785697

Manisha Kumari Pandey | Published on -July 14, 2025

हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है

पुलिस वाला बिना वजह हाथ नही उठा सकता, इसे अपराध माना जाएगा

आईपीसी धारा 166ए के तहत पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं

एफआईआर दर्ज न करना भी अपराध

पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन-रात काम करती है। आम नागरिकों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों की गुंडागर्दी के कई मामले भी अक्सर सामने आते रहते हैं। कुछ पुलिसकर्मी वर्दी के नाम पर जनता को परेशान करते हैं। बिना वजह छोटी-छोटी बातों पर हाथ उठा देते हैं। अपशब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जनता पुलिस के साथ सुरक्षित महसूस करने के बजाय, उनसे डरती है।

पुलिस का कर्तव्य जनता की सुरक्षा है, इसलिए उनसे डरे नहीं। बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद लें। यह हर व्यक्ति का अधिकार है। यदि कोई अधिकारी आपके साथ बिना वजह मारपीट करता है या दुर्व्यवहार करता है, तो आप कानूनी मदद भी ले सकते हैं। सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने जनता को कई अधिकार (Police Harassment Legal Rights) दिए हैं। नियमों और प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया गया है।

बिना वजह पुलिस हाथ उठाए तो क्या करें?

आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को देश में सम्मान के साथ जीने का हक देता है। कोई भी व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता। यदि रोड, बाजार और अन्य किसी स्थान पर कोई पुलिसकर्मी आप पर बिना किसी वजह धमकी देता है या हाथ उठाता है, तो इसे अपराध मना जायेगा। धारा 46 के तहत कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट नही कर सकता। आईपीसी धारा 166ए के तहत आप संबंधित अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

हालांकि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने, हिंसक विरोध प्रदर्शन, भागने की कोशिश करने इत्यादि मामलों में पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यदि कोई पुलिस वाला आप पर हाथ उठाता है, तो ऐसे मामलों में उनसे उलझे नहीं। बल्कि कानून की मदद लें। सबूत इकट्ठा करें। शिकायत में देरी करना भारी पड़ सकता है।

कहाँ करें शिकायत?

पुलिस के अत्इयाचार और भ्रष्टाचार की शिकायत स्थानीय थाने में जाकर कर सकते हैं। यदि एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं होता है, तो आप एसपीआर या डीआईजी को लिखित शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज न करना भी धार 166ए के तहत अपराध है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत भी दर्ज करने का अधिकार भी आपको होता है। मजिस्ट्रेट या कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है।